न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 110/2016

1. सुरेश कुमार
2. सुखदेव

} पिसरान श्री लाधुराम जाति जाट गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. लाधुराम पुत्र श्री मनफुलराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. स्टेट आफ राजस्थान – जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत विभाजन एवम् खातेदारी अधिकारों की घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषीपाल जोशी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या एक
3. श्री महावीर प्रसाद राज पैराकार नायब तहसीलदार चुनावढ़।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 14.09.2016

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 अपनें पिता के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.017 हैक्टर एवम् मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 10 की 0.227 हैक्टर कुल 6.244 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 लाधुराम पुत्र मनफुल के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण के दादा मनफुलराम उर्फ फुलाराम पुत्र हरलाल के स्वर्गवास होनें के बाद विरास्तन इन्तकाल संख्या 215 दिनांक 08.02.2006 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण की बुआजी शीलो व कमला पुत्रीयां मनफुलराम को प्राप्त हुई। वादीगण की बुआजी शीलो व कमला द्वारा उक्त विरास्तन कृषि भूमि में अपनें समस्त हक व हिस्सा का परित्याग बिना किसी प्रतिफल के अपनें भाई यानि वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 के कि में कर दिया जिस पर शीलो व कमला के नाम दर्ज कृषि भूमि भी इन्तकाल संख्या 229 दिनांक 08.01.2007 द्वारा वादीगण के पिताजी यानि

लगातार 2

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान में दर्ज 6.244 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के दादाजी से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होनें के कारण विरास्तन जायदाद है, जिसमें वादीगण का जन्म से कि व अधिकार निहीत है। जिसे वादीगण घोषित करवानें के अधिकारी है।

वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 नें पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 6.244 हैक्टर कृषि भूमि का घरेलू बंटवारा किया हुआ है। उक्त घरेलू बंटवारा अनुसार 2/3 हिस्सा यानि 4.162 हैक्टर भूमि वादीगण को प्राप्त हुई एवम् शेष 1/3 हिस्सा यानि 2.082 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई, वादीगण एवम् प्रतिवादीग संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपनें हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा के अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दारामद करवाया जाना जरूरी है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होनें के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवम् राजस्व सम्बंधी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी ईच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सरकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लाधुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनें के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होनें के कारण प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करनें की धमकियां देता रहता।

उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है, कि प्रतिवादी संख्या 1 लाधुराम पुत्र मनफुलराम के नाम दर्ज चक 3 क्यू पटवर हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 18, 24 की कुल 6.244 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण सुरेश कुमार एवम् सुखदेव का 2/3 हिस्सा घोषित किया जाकर उक्त बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करनें के आदेश दिये जावें तथा अलग अलग लगान कायम किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 12.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री विजय कुमार भाटी अभिभाषक उपस्थित आये। तथा वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनाम प्रस्तुत किया जिसमें वादीगण की पहचान श्री ऋषीपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता द्वारा की गई।

उभयपक्ष की और से प्रस्तुत किये गये राजीनामा को पढ़नें समझनें के बाद उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षकर किये गये जिनकी पहचान श्री ऋषीपाल जोशी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

दिनांक 05.09.2016 को वादी संख्या 1 सुरेश कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई तथा वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर दिनांक 06.09.2016 को बहस

लगातार 3

सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात एंव बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.017 हैक्टर एवम् मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 10 की 0.227 हैक्टर कुल 6.244 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात तथा दिनांक 12.07.2016 को पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अवलोकन के बाद राजीमाना के अनुसार वाद पत्र का निस्तारण किया जाना विधि अनुसार एवम् लोक अदालत की भावना के अनुरूप है इसलिये वाद को राजीनामे के अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादी एवम् प्रतिवादी की अपनी पैतृक सम्पति के सम्बध में राजीनामा में वर्णित भूमि चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 18, 24 की कुल 6.244 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 की 4.162 हैक्टर भूमि कम की जाकर वादीगण सुरेश कुमार एवम् सुखदेव के नाम से 4.162 हैक्टर भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर